



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032021-226198
CG-DL-E-27032021-226198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1276]

नई दिल्ली शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 1276]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1380(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट (NH-244) के डिज़ाइन कि.मी 17.200 से 37.500 जम्मू और कश्मीर राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-244 (डिज़ाइन कि.मी 17.200 से 37.500)
तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला मजिस्ट्रेट / डिप्टी उपायुक्त /	राष्ट्रीय राजमार्ग	जम्मू और कश्मीर	अनन्तनाग	कोकेरनाग	1 चेरी तन्जी (दाऊद पुरा)

	जिला विकास आयुक्त, अनंतनाग	संख्या NH-244 के कि.मी. 17.2 से 37.5 तक			
--	-------------------------------	--	--	--	--

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Kishtwar/Vailoo Tunnel/Anantnag/R/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2021

S.O. 1380(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Design Km. 17.200 to km. 37.500 of Vailoo Tunnel and its Approach road section (NH-244) in the State of JAMMU & KASHMIR for building (Two lane/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH-244 in the State of JAMMU & KASHMIR.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Magistrate/ Deputy Commissioner / District Development Commissioner, Anantnag	17.2KM To 37.5KM	JAMMU & KASHMIR	ANANTNAG	Kokernag	1 Cheri Tanzi (Dawood Pora)

[F. No. NHIDCL/PMU-Kishtwar/Vailoo Tunnel/Anantnag/R/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director